रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड 3 (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 1997 श्रावण 28, 1919
No. 325] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 1997/SRAVANA 28, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त 1997

सा.का.नि. 470 (अ). —केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. पी.आर.-12012/14/95-पी.ई. 1]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन विनियम, 1997)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-124 (1) और (2) के साथ पठित धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी [भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति (संशोधन)] विनियम, 1997 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम भारत सरकार की मंजूरी भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. मौजूदा विनियम-3 के उप-विनियम (जे) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

विनियम-3 (जे) : "स्थायी कर्मचारी से" अभिप्राय: किसी ग्रेड या पद के संबंध में इस प्रकार की गई घोषणा से है ।

3. मौजूदा विनियम-6 को हटाया जाए और शेष मौजूदा विनियमों को क्रमिक रूप में नई संख्या दी जाए ।

4. विनियम-10 के उप-विनियम (1) में "कर्मचारी जिसका बोर्ड या सरकार के अंतर्गत" वाक्य में "सरकार" शब्द को हटा दिया जाए ।

5. विनियम-10 के उप-विनियम (2) में आने वाले "या सरकार" शब्दों को हटा दिया जाए ।

6. विनियम-II के उप-विनियम (क) में आने वाले "स्थायी रूप से नियुक्त" शब्दों के स्थान पर "स्थायी किए गए" शब्दों को रखा जाए तथा "नियुक्ति" शब्दों को हटाकर "स्थायी किए गए" शब्दों को रखा जाए ।

7. मौजूदा विनियम-II में निम्नलिखित को उप-विनियम (ई), (एफ), (जी), (एच), (आई) के रूप में और साथ ही उदाहरण को जोड़ा जाए ।

विनियम-2 (ई) :

जहां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं, वहां इस प्रकार के पदोन्नति पाने वालों की वरिष्ठता समिति द्वारा इस प्रकार की पदोन्नति के लिए सिफारिश किए गए क्रम में होगी । जहां पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं, अपात्र को अस्वीकार करने के तहत, पदोन्नति के लिए पात्र माने गए व्यक्तियों की वरिष्ठता फिर भी निचले ग्रेड में, जहां से इन्हें पदोन्नत किया गया है, सापेक्ष वरिष्ठता के समान ही होगी । तथापि, जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अपात्र माना गया है और उसके अवर ने अतिक्रमण किया हो, तो उस प्रकार का व्यक्ति जिसे बाद में पदोन्नति के लिए पात्र पाया गया हो, अवर व्यक्तियों, जिन्होंने उसका अधिक्रमण किया है, के ऊपर उच्च ग्रेड में वरिष्ठता को नहीं लेगा ।

(एफ) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आरंभ में अस्थायी आधार पर भर्ती अथवा पदोन्नत किया गया हो और बाद में उसकी नियुक्ति के समय सूचित गुणावगुण क्रम से भिन्न किसी दूसरे क्रम में स्थायी बनाया गया हो, तो उनकी वरिष्ठता स्थायीकरण के क्रम में होगी न कि गुणावगुण के मूल क्रम में ।

(जी) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों और पदोन्नत प्राप्त व्यक्तियों की रिक्तियों के रोटेशन के अनुसार होगी, जो भर्ती नियमों में क्रमश: सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के आधार पर होगी ।

(एच) यदि किसी एक वर्ष में सीधी भर्ती के लिए पर्याप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वरिष्ठता को नियत करने के प्रयोजन के लिए कोटा का रोटेशन उसी हद तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और पदोन्नति प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध है ।

दूसरे शब्दों में, जिस हद तक सीधी भर्ती के लिए व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में कोटाओं के रोटेशन के आधार पर अंतिम पोजीशन, जहां वरिष्ठता का नियत करना संभव है, के नीचे वरिष्ठता सूची के अंत में पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों को एकत्र कर रखा जाएगा । तथापि, सीधी भर्ती द्वारा भरी नहीं जा सकी रिक्तियों को आगे ले जाया जाएगा और साधारण प्रक्रिया के अनुसार कुल संख्या की सीधी भर्ती के लिए कार्रवाई करने के लिए अगले वर्ष की (और जहां जरूरी हो बाद के वर्षों में) अनुरूप सीधी भर्ती की रिक्तियों में जोड़ा जाएगा । उसके बाद, उस वर्ष के लिए कोटा के अनुसार यथा निर्धारित सीधी भर्ती और पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों के लिए रिक्त स्थानों की संख्या तक सीधी भर्ती और पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता को नियत किया जाएगा और पिछले वर्ष के अग्रेनीत रिक्तियों के बाबत चयनित अतिरिक्त सीधी भर्ती के व्यक्तियों को उस वर्ष रिक्तियों के रोटेशन के आधार पर तैयार वरिष्ठता सूची में अंतिम पदोन्नति प्राप्त व्यक्ति (अथवा सीधी भर्ती जो भी मामला हो) के नीचे एक साथ रखा जाएगा । यही सिद्धांत इसके बाद के वर्ष में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कोटा रिक्तियों (जो भी मामला है) अग्रेनीत,यदि कोई हो, के मामले में वरिष्ठता को नियत करने में भी लागू होगा ।

उदाहरण :

जहां भर्ती नियम किसी ग्रेड की रिक्तियों को 50 प्रतिशत स्थान पदोन्नति द्वारा और शेष 50 प्रतिशत स्थान सीधी भर्ती द्वारा किए जाने के लिए प्रावधान करते हैं, और यह मान लिया जाए कि वर्ष 1986 और 1987 में प्रत्येक में उस ग्रेड में दस-दस रिक्त स्थान हैं और इन्हें वर्ष 1987 में भरा जाना है

तो पदोन्नति प्राप्त और सीधी भर्ती द्वारा चयनित व्यक्तियों के लिए इन दो वर्षों में वरिष्ठता की स्थिति इस प्रकार होगी :—

	1986		1987
1.	पी-1	11.	पी-2
2.	डी-1	12.	डी-2
3.	पी-2	13.	पी-3
4.	डी-2	14.	पी-4
5.	पी-3	15.	पी-4
6.	डी-3	16.	पी-5
7.	पी-4	17.	पी-5
8.	पी-5	18.	डी-6
9.	पी-1	19.	डी-7
10.	डी-1		

(आई) निर्धारित प्रत्येक भर्ती पद्धति के तहत वर्ष के दौरान भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या को नियत करने में नियुक्त प्राधिकारी की सहायता के लिए वर्ष-दर-वर्ष उद्‌भूत और भरे जा रहे रिक्त स्थानों की चल लेखा को दिखाने वाला रिक्त स्थानों की पंजी को रखी जाए ।

(8) मौजूदा विनियम-15 को हटाकर इसके स्थान पर अधोलिखित को रखा जाए : —

विनियम-15 कर्मचारी चयन समिति का गठन :

नीचे बताए अनुसार प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कर्मचारी चयन समिति का गठन किया जाए :

श्रेणी-1 पद

अध्यक्ष :

मण्डल का अध्यक्ष

सदस्य :

1. उपाध्यक्ष
2. जहां रिक्त स्थान हैं उस विभाग के अध्यक्ष
3. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य कोई विभागाध्यक्ष

श्रेणी-2 पद

अध्यक्ष :

मण्डल का अध्यक्ष

सदस्य :

1. जहां रिक्त स्थान है उस विभाग का अध्यक्ष
2. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य कोई विभागाध्यक्ष/श्रेणी-1 वर्ग में अधिकारी

श्रेणी-3 पद

अध्यक्ष :

उपाध्यक्ष/मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित विभागाध्यक्ष

सदस्य :

1. मण्डल का सचिव
2. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक और अधिकारी

श्रेणी-4 पद :

अध्यक्ष :

मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित विभागाध्यक्ष

सदस्य :

1. मण्डल का सचिव या उप/सहा. सचिव
2. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य अधिकारी

(9) मौजूदा विनिमय-16 को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए:

विनियम-16 : विभागीय पदोन्नति समिति :

प्रत्येक ग्रेड या पद के लिए नीचे बताए अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाएगा :

श्रेणी-1 पद

अध्यक्ष :

मण्डल का अध्यक्ष

सदस्य :

1. उपाध्यक्ष
2. जहां रिक्त स्थान हैं उस विभाग का अध्यक्ष
3. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य विभागाध्यक्ष

श्रेणी-2 पद

अध्यक्ष :

मण्डल का अध्यक्ष

सदस्य :

1. जहां रिक्त स्थान है उस विभाग का अध्यक्ष
2. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य विभागाध्यक्ष या श्रेणी-1 में अधिकारी

श्रेणी-3 और 4 पद :

अध्यक्ष :

उपाध्यक्ष/मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित विभागाध्यक्ष

सदस्य :

1. मण्डल का सचिव
2. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित एक और अधिकारी

(10) ''जहां पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती है'' और ''कर्मचारियों के बीच आने वाले निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाए''

''वहां चयन का क्षेत्र अपेक्षित अर्हताओं या अनुभव वाले कर्मचारियों के उपलब्ध होने की शर्त के अधीन साधारणत: रिक्तियों की संख्य पांच गुना से अधिक नहीं होगी। विभागीय पदोन्नति समिति अपने विवेकानुसार, अपवादिक परिस्थितियों में इन सीमाओं में परिवर्तन क सकती है।''

(11) ''विनियम-16 के उप-विनियम(2)में निम्नलिखित को खण्ड (ए), (बी),(सी) और परंतुक के रुप में जोड़ा जाए :

खण्ड (ए) :

फीडर ग्रेडों में पात्र कर्मचारियों में से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति के लिए विचार किए वाले कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में भरे जानेवाले स्पष्ट नियमित

स्थानों की संख्या के संदर्भ में अपने विकल्प को रिक्त स्थानों की संख्या के संदर्भ में अपने विकल्प को निम्नलिखित रूप में प्रतिबंधित कर सकती है :

रिक्त स्थानों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या जिन पर विचार किया जाना है
1	5
2	8
3	10
4 या अधिक	रिक्त स्थानों से तीन गुना

खण्ड (बी) : तथापि, जहां फीडर ग्रेडों में पात्र कर्मचारियों की संख्या उपर्युक्त कालम (2) की संख्या से कम हो तो, इस प्रकार पात्र सभी कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा।

खण्ड (सी) : यथा उपर्युक्त विकल्प के साधारण क्षेत्र के भीतर जहां अ. जा./ज. जा. के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो रिक्त स्थानों के पांच गुणा तक विकल्प क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा और इस प्रकार विस्तारित विकल्प क्षेत्र के भीतर आने वाले अ. जा./ज. जा. (दूसरे अन्य नहीं) के उम्मीदवारों को इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के बाबत विचार किया जाएगा।

बशर्ते कि तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में चयन द्वारा पदोन्नतियों के बारे में प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्त इस संशोधन के अधीन अ. जा./ज. जा. कर्मचारियों पर लागू होगा कि विस्तारित क्षेत्र में भी सुयोग्य अ. जा./ज. जा. के कर्मचारियों को साधारण क्षेत्र में आते हैं और चयनित होते हैं, को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी क्रमबध्दता के अनुसार सूची में उनके स्थान को प्रतिधारण करने दिया जाएगा।

12.मौजूदा विनियम-17 के उप-विनियम (2) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

विनियम-17(2) : किसी एक पद को, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जिसे अतिरोध्य परिस्थितियों में आगे और बढ़ाया जा सकता है, भरने के लिए नियोक्ता प्राधिकारी ऐसे अस्थायी प्रबंध करेगा जो वह ठीक समझेगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था देखें, जी. एस. आर. सं. 961 दिनांक 01-07-1964 और जी. एस. आर. सं. 453 (अ) दिनांक 12-05-1995।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 August, 1997

G.S.R. 470 (E).—In exercise of the the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)Amendment Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/14/95-PE. 1]

K. V. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE

[Mormugao Port employees (Recruitment, Seniority and Promotion Amendment Regulation, 1997)]

In exercise of the powers conferrd by section 28 read wih section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 the Board of Trustees of the port of Mormugao hereby makes the following regulation further to amend the Mormugao Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulation, 1964, namely :—

(1) (i) The regulations may be called the Mormugao Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) (Amendment) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication of Govt. sanction in the Gazette of India.

(2) Substitute the existing Sub-Regulation (J) of Regulation 3 by the following :

Rec. 3 (J) : "Permanent Employee" in relation to any grade or post means an employee who has been declared as such.

(3) Delete the existing regulation 6 and renumber the remaining existing regulations in serial order.

(4) Delete the words "or Government" appearing between the words "the Board" and shall be liable of Sub-Regulation (1) of Regulation 10.

(5) Delete the words "or Government" appearing between the words "the Board" and "may be reverted" in Sub-Regulation (2) of Regulation 10.

(6) Substitute the words "substantively appointed" appearing between the words "persons" and "in grade" and the word "appointed" at the end of Sub-Regulation (a) of Reg. 11 with the words "confirmed'' respectively.

(7) Introduce the following as Sub-Regulation (e), (f), (g), (h), (i) and illustration to Regulation 11.

(e) Where promotions are made on the basis of selection by Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in order in which they are framed for such promotion by the committee. Where promotions are made on the basis of seniority subject to the rejection of the unift the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted, Where, however, a person in considered unfit for promotion and is superseded by a junior such person shall not if he is subsequently found suitable and promoted, take seniority in the higher grade over the junior persons who has superseded him.

(f) Where persons recruited or promoted initially on temporary basis are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority shall follow the order of confirmation and not the original order of merit.

(g) The relative seniority of direct recruits and of promotees shall be determined according to the rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies reserved for direct recruitment and promotion respectively in the Recruitment Rules.

(h) If adequate number of direct recruits do not become available in any particular year, rotation of quotas for the purpose of determining seniority would take place only to the extent of the available direct recruits and the promotees.

In other words, to the extent direct recruits are not available the promotees will be bunched together at the bottom of the seniority list below the last position up to which it is possible to determine seniority, on the basis of rotation of quotas with reference to the actual number of direct recruits who become available. The unfilled direct recruitment quota vacancies would, however, be carried forward and added to the corresponding direct recruitme ment vacancies of the next year (and to subsequent years where necessary) for taking action for direct recruitment for the total number according to the usual practice. Thereafter in that year while seniority will be determined between direct recruits and promotees, to the extent of the number of vacancies for direct recruits and promotees as determined according to the quota for that year, the additional direct recruits selected against the carried forward vacancies of the previous year would be placed en bloc below the last promotee (or direct recruits as the case may be) in the seniority list based on the rotation of vacancies for that year. The same principle holds good for determining seniority in the event of carry forward, if any, of direct recruitment or promotion quota vacancies (as the case may be) in the subsequent year.

Illustration—Where the Recruitment Rules provides 50% of the vacancies of a grade to be filled by promotion and the remaining 50% by direct recruitment, and assuming there are ten vacancies in the grade arising in each of the year 1990 and 1991 and that two vacancies intended for direct recruitment remain unfilled during 1990 and they could be filled during 1991 the seniority position of the promotees and direct recruits of these two years will be as under :—

1990		1991	
(1)		(2)	
1.	P1	9.	P1
2.	D1	10.	D1
3.	P2	11.	P2
4.	D2	12.	D2
5.	P3	13.	P3
6.	D3	14.	D3
7.	P4	15.	P4
8.	P5	16.	D4
		17.	P5

(1)	(2)
	18. D5
	19. D6
	20. D7

(i) In order to help the appointing authorities in determining the number of vacancies to be filled during a year under each of the methods of recruitments prescribed, vacancy Register giving running account of the vacancies arising and being filled from year to year may be maintained.

(8) Delete the existing Reg. 15 and substitute the same with the following :—

Reg. 15 : CONSTITUTION OF STAFF SELECTION COMMITTEE :

A Staff Selection Committee shall be constituted for each grade as indicated below :

CLASS-I

CHAIRMAN :

Chairman of the Board

Members :

1. Dy. Chairman
2. Head of the department, where vacancy exists.
3. Any other Head (s) of department nominated by the Chairman of the Board.

CLASS II POSTS

Chairman :

Dy. Chairman of the Board.

Members :

1. Head of the department, where vacancy exists.
2. Any other HOD/Officer in Class I category nominated by the Chairman of the Board.

CLASS III POSTS.

Chairman :

Dy. Chairman/Head of Department nominated by the Chairman of the Board.

Members :

1. Secretary of the Board.
2. Another Officer nominated by the Chairman of the Board.

CLASS IV POSTS.

Chairman.

Head of the department nominated by the Chairman of the Board.

Members :

1. Secretary or Deputy/Asstt. Secretary of the Board
2. Another Officer nominated by the Chairman of the Board.

(9) Delete the existing Reg. 16 and substitute the same with the following :

Reg. 16 : DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

A Departmental Promotion Committee shall be constituted for each grade or post as indicated below :

CLASS I POSTS.

Chairman

Chairman of the Board.

Members :

1. Dy. Chairman.
2. Head of the department, Where the vacancy exists.
3. Any other Head (s) of the department, nominated by the Chairman of the Board.

CLASS II POSTS.

Chairman :

Dy. Chairman of the Board.

Members :

1. Head of the department, where the vacancy exists.

2. Another Head of department, or Officer in class I category nominated by Chairman of the Board.

CLASS III AND CLASS IV POSTS :

Chairman :

Dy. Chairman/Head of department nominated by the Chairman of the Board.

Members :

1. Secretary of the Board.

2. Another Officer nominated by the Chairman of the Board.

(10) Delete the following words appearing between the words 'of merit' and 'Employees shall be' appearing in Sub-Regulation 16. 'Normally the field of selection shall not be more than five times the number of vacancies subject to employees with necessary qualifications or experience being available. The Departmental Promotion Committee may at its discretion alter these limits to suit exceptional circumstances.

(11) Introduce the following as clauses (a), (b), (c) and proviso to sub-regulation (2) of Regulation 16.

Clause (a) : The Departmental Promotion Committee shall for the purpose of determining the number of employees who should be considered from out of those eligible employees in the feeder grade (s), restrict the field of choice as under, with reference to the number of clear regular vacancies proposed to be filled in the year.

No . of vacancies	No. or employees to be considered
(1)	(2)
1	5
2	8
3	10
4 or more	three times the number of vacancies.

Clause (b) : Where, however, the number of eligible employees in the feeder grade (s) is less than the number in column (2) above all the employees so eligible should be considered.

Clause (c) : Where adequate number of SC/ST candidates are not available within the normal field of choice as above, the field of choice may be extended to 5 times the number of vacancies and the SC/ST candidates (and not any other) coming within the extended field of choice should also be considered against the vacancies reserved for them.

Provided that as regards promotions by selection from Class III to Class II and from Class II to Class I, the principle enunciated above will apply to SC/ST employees subject to the modification that meritorious SC/ST employee even in the extended field of choice should not be made to lose the advantage earned by virtue of their superior merit in comparison to other in the normal zone. Such of the meritorious SC/ST candidates who are in the extended field and get selected should retain their position in the panel in accordance with their gradation by the Departmental Promotion Committee.

(12) Delete the existing Sub-Regulation (ii) of Regulation 17 and substitute the same with the following :

Reg. 17 (ii) : The appointing authority may also make such other temporary arrangements as may deem necessary to fill any post for a period not exceeding one year which may further be extended under compelling circumstances.

FOOT NOTE : The principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 961 dated 01-07-1964 and subsequently amended vide :—

(1) GSR No. 453 (E), dated 12-5-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997